संख्या-~~अस्स~~-26/43-2-2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 25 सितम्बर, 2009

विषयः- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में दिनांक 6 से 12 अक्टूबर, 2009 तक "सूचना का अधिकार सप्ताह" (RTI Week) के रूप में मनाया जाना।**

महोदय,

जैसाकि आप अवगत है कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं को नाागरिकों तक पहुँच सुनिश्चित कराने, पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। उक्त अधिनियम के लागू होने के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 6 से 12 अक्टूबर, 2009 तक "सूचना का अधिकार सप्ताह" **(RTI Week)** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सप्ताह में सूचना का अधिकार के प्रति और अधिक जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे- कार्यशालायें, व्याख्यान, प्रचार-प्रसार इत्यादि आयोजित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से प्रशासनिक सुधार विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।